कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 528 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक, मीरजापुर, मई 5,6, 2020

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में **(ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017)**

संदर्भः 1–विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ क पत्र संख्या– पी0112 / 81–2–2019–79 / 91 लखनऊ दिनांक– 26 दिसम्बर 2019
2–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या– 1274 / 11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 26.12.2019
3–इस कार्यालय पत्रांक– सा0 2957 / मी0 / 33 दिनांक– 26.12.2019
4–प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र संख्या– 2251 / एन0सी0एल0 दिनांक– 27.12.2019
5–इस कार्यालय पत्र संख्या– सा0 2966 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 27.12.2019
6–मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1289 / 11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 30.12.2019
7– इस कार्यालय पत्र संख्या– 3026 / मी / 33 दिनांक– 31.12.2019
8– इस कार्यालय पत्र संख्या– सा0 3038 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 31.12.2019
9– इस कार्यालय पत्र संख्या– सा0 3162 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 08.01.2020
10–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या–1464 / 11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 23.01.2020
11– प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का पत्र संख्या– 2579 / रेनुकूट / 15–38 दिनांक– 25.01.2020
12–इस कार्यालय पत्र संख्या– 3549 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 29.01.2020
13–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1585 / 11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 06.02.2020
14–इस कार्यालय पत्र संख्या– सा0 3757 / मी0क्षे0 / 33 दिनांक– 06.02.2020
15–प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्र संख्या– 1954 / 11–सी– **FP/UP/MIN/29061/2017** लखनऊ दिनांक– 06.05.2020
16–इस कार्यालय पत्र संख्या– 4867 / मी0 / 33 दिनांक– 08.05.2020

महोदय,

विषयक प्रकरण में शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 26.12.2019 द्वारा मांगी गयी वांछित आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–3549 / मी0 / 33दिनांक 29.01.2020 द्वारा प्रेषित किया गया। प्रेषित किये गये आख्या पर आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 06.02.2020 द्वारा प्रकरण की जांच समिति का गठन कर सहमति / संस्तुति सहित आख्या उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये। जांच समिति द्वारा प्रेषित आख्या इस कार्यालय के पत्रांक–4483 / मी0 / 33 दिनांक 18.03.2020 द्वारा आपकी सेवा में प्रेषित किया गया। जिस पर आपके कार्यालय के पत्र दिनांक 06.05.2020 द्वारा शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 26.12.2019 के द्वारा की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण (निर्धारित टेबुलर फार्म) में समाहित करते हुए समेकित जांच रिपोर्ट तथा Geo Referenced Digital Map पर प्रभागीय वनाधिकारी, के हस्ताक्षर सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट द्वारा उपरोक्त दिये गये निर्देशानुसार (निर्धारित टेबुलर फार्म) में समाहित कर आख्या एवं Geo Referenced Digital Map पर हस्ताक्षर कर तीन प्रतियों में अपने कार्यालय के पत्रांक–3405 / रेनुकूट / 15–38 दिनांक 18.05.2020 द्वारा इस कार्यालय को निम्नप्रकार प्रेषित किया गया है:–

क्र0सं0	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– पी0112 / 81–2–2019–79 / 91 लखनऊ दिनांक– 26 दिसम्बर 2019 में अंकित आपत्तियों का विवरण	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किया जायेगा । यदि प्रयोक्ता द्वारा शर्तो का अनुपालन नही किया जाता है , तो नियमानुसार विधिक / वैधानिक कार्यवाही की जाय ।	(1) इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए ग्राम–ककरी की 185.84 हे0 वन भूमि भारत सरकार के पत्र संख्या– 8–350 / 87–एफ0सी0 दिनांक– 30.05.1989 द्वारा 6 (छः) शर्तो के अधीन एवं इसके क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– एल0 598 / 14–3–1989 दिनांक– 22.12.1989 व संशोधित आदेश संख्या–5343 / 14–2–93–944 / 1987 वन अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक– 01.11.1993 द्वारा 11(गयारह) शर्तो के अधीन 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी थी । (2) उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक– 22.12.1989 में अधिरोपित समस्त शर्तो में से **शर्त संख्या–6** का उल्लंघन किया गया है और **शर्त संख्या– 8(ब)** का अनुपालन वर्ष 2011–12 तक किया गया तथा वर्ष 2011–12 के उपरान्त अनुपालन नही किया गया जिसका कारण / विवरण निम्नानुसार है :– **शर्त संख्या– 6** – इस शर्त के अनुपालन में प्रश्नगत वन भूमि 185.84 हे0 पर नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा किए गए निर्माण के बाद भी आरक्षित / रक्षित वन भूमि बने रहेगे किन्तु प्रस्तावक नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा न्यायालय वन बन्दोबस्त अधिकारी पिपरी सोनभद्र व न्यायालय अतिरिक्त जनपद न्यायाधीश पिपरी–सोनभद्र के समक्ष वाद / अपील योजित करते हुए वर्ष 1994 के पूर्व निर्णय प्राप्त किया गया और प्राप्त निर्णय के आधार पर प्रश्नगत वन भूमि को राजस्व अभिलेखो में एन0सी0एल0 के नाम दर्ज कराया जा चुका है । एन0सी0एल0 के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज प्रश्नगत वन भूमि एवं एन0सी0एल0 की अन्य परियोजनों एवं अन्य संस्थानो आदि के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज समस्त भूमि को पुनः वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज करने एवं अन्य तथ्यों को वन विभाग की ओर से एक **एम0ए0 संख्या– 1747 / 2018 बनवासी सेवा आश्रम से संबंधित मामलो में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष दाखिल किया गया है जो वर्तमान में माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।** **शर्त संख्या– 8(ब)** – इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावक द्वारा प्रीमियम की निर्धारित धनराशि रू0 2,32,300 / –(एक मुश्त) तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत लीज रेंट की निर्धारित धनराशि , 23,230 / –प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2011–12 तक जमा करते हुए आगे की अवधि में जमा करने से छूट प्रदान करने हेतु सी0एम0डी0, नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली, मध्य प्रदेश द्वारा (समस्त परियोजना यथा एन0सी0एल0 ककरी, बीना, खडिया, एवं दुद्धीचुआँ की ओर से) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या–50320 / 2010 नार्दन कोल फील्डस लि0 बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल की गयी । उक्त रिट याचिका में विभाग की ओर से दाखिल प्रतिशपथ पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से पारित आदेश दिनांक– 11.10.2012 Delivered on 16.01.2013 वन विभाग के विरूद्ध जारी किया गया ।

		माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक– 11.10.2012/16.01.2013 के विरूद्ध प्रभाग द्वारा उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या– 13458/2013, व एस0एल0पी0संख्या– सिविल(सी) 22793/2013 व परिवर्तित अपील सिविल नम्बर 7614/2014 दाखिल किया गया है जिसमें अब तक माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक–15.07.2013 व 08.08.2014 को निम्न आदेश पारित किया गया :– दिनांक–15.07.2013– Delay condoned, Issue notice दिनांक–08.08.2014– Leave granted. Hearing of appeal be expedited. In the meantime, counsel for the appellants is permitted to file rejoinder affidavit, if any . उक्त आदेश दिनांक– 08.08.2014 के अनुपालन में प्रभाग द्वारा एडवोकेट ऑन रिकार्ड के माध्यम से दिनांक– 17.08.2016 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिज्वाइन्डर शपथ पत्र दाखिल किया तथा सिविल अपील माननीय उच्चतम न्यायलय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । प्रीमियम एवं लीज रेंट भुगतान के संबंध में प्रस्ताव द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव में इस आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत की गयी है कि प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वादो के अन्तिम निर्णय के अनुसार अनुपालन किया जायेगा । वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति नवीनीकरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या–50 पर संलग्नक–13 के रूप में संलग्न किया गया है ।
2	विषयगत प्रस्ताव में प्रयोक्ता द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिरोपित भूमि हस्तान्तरण की शर्तो के अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाय ।	**इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रस्तावक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो में से उ0प्र0 सरकार के उक्त शर्त संख्या–6 व 8(ब) का अनुपालन उपरोक्त कारणो से नही किया गया है। दोनो प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन होने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंधन का प्रस्ताव भारत सरकार प्रेषित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है ।** प्रकरण में जांच समिति की जांच आख्या संलग्न है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रपत्र–1 में अकित गाटा संख्या 03 से 106 के मध्य है जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के तहत एन0सी0एल0 ककरी परियोजना को 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित की गयी है , तथा प्रपत्र–2 में अंकित गाटा संख्या 918 से 1183 के मध्य है जो काफी दूर है जिसे एन0सी0एल0 ककरी द्वारा मे0 रेनुसाग पावर डिवीजन, रेनुसागर –सोनभद्र व मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को हस्तान्तरित की गयी है । वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के प्राविधानो के तहत भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा लीज पर हस्तान्तरित क्षेत्र व एन0सी0एल0 ककरी परियोजना द्वारा मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर–सोनभद्र व मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को हस्तान्तरित क्षेत्र से संबंधित जी0ओ0रेफरेन्स मानचित्र की प्रति संलग्न है । उपरोक्त विवरण से यह पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि "वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार/उ0प्र0 सरकार द्वारा एन0सी0एल0 ककरी को 30 वर्षो हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि व 18.2608 एकड़ वन भूमि दोनो अलग–अलग प्रकरण है । 18.2608 एकड वन भूमि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–4 के अन्तर्गत विज्ञापित होने एवं भारत सरकार की अनुमति

(3)

		के बिना वनेत्तर प्रयोग हेतु नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा निजी कम्पनियों को लीज पर दिये के विरूद्ध वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा–2 के उल्लंधन का प्रकरण तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा स–समय उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया उसी तथ्यो को वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नवीनीकरण प्रस्ताव प्रेषित करने के समय प्रस्तावक कम्पनी (नार्दन कोल फील्डस लि0 ककरी) एक होने के कारण तथ्यो को उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया है । उसमें प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट द्वारा तथ्यो को छिपाया नही गया है"।

अतिरिक्त कथन

उक्त के अतिरिक्त नार्दन कोल फील्डस लि0 के विभिन्न परियोजनाओ के प्रकरणो में उल्लंधन एवं अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

1– नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना को उपरोक्तानुसार वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत लीज पर हस्तान्तरित ग्राम–ककरी की 195.84 हे क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्रफल 18.2608 एकड़ जिसका ग्रामवार विवरण निम्न प्रकार है , को नार्दन कोल फील्डस लि0 की ककरी परियोजना द्वारा बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किये सी0बी0ए0 एक्ट के अधीन उर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर प्राप्त भूमि मे से 18.2608 एकड़ भूमि मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन, रेनुसागर–सोनभद्र व मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र को लीज पर हस्तान्तरित कर दी गयी जिसके संबंध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है । :–

क्र0 सं0	एन0सी.0एल0द्वारा सी0बी0ए0 एक्ट के अधीन प्राप्त भूमि में से जिसको लीज दी गयी उसका नाम	लीज का दिनांक	लीज का प्रयोजन	लीज का क्षेत्रफल	लीज क्षेत्रफल में निहित वन भूमि का क्षेत्रफल / ग्राम का नाम	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रभाग स्तर से की गयी कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	मे0 रेनुसागर पावर डिवीजन(मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0)	21.02.2009	एष पाईप लाईन, इलेक्ट्रीकल लाईट एवं मरम्मत कार्यो के लिए रास्ते का निर्माण	7.43 एकड़	5.5203 एकड़ / ग्राम–परासी व औड़ी	प्रश्नगत प्रकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या– 4704 / रेनुकूट / 12 बैठक दिनाक– 10.06.2013 द्वारा वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को संदर्भित किया गया जिसे मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 6473 / मीरजापुर / 33 दिनांक– 29.06.2013 द्वारा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ को सदर्भित किया गया । मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र संख्या– 1571 / 11–सी–उल्लंधन दिनांक– 30.01.2014 व पत्र संख्या– 419 / 11–सी दिनांक– 20.06.2015 द्वारा प्रमुख सचिव(वन) उ0प्र0 शासन वन अनुभाग–2
2	–"–	10.06.2011	कोयला ट्रान्सपोर्ट सिस्टम की स्थापना	30.66 एकड़	6.1405 एकड़ / ग्राम–ककरी, जमशिला व बासी	
2	मे0 लैन्को अनपरा पावर लि0 अनपरा–सोनभद्र	30.11.2010	वार्फ वाल / रेलवे साईडिंग की स्थापना	8.8 एकड़	6.6 एकड़ / ग्राम–ककरी	

						लखनऊ को संदर्भित किया गया है तथा प्रभाग में उपलब्ध अभिलेखो के आधार पर प्रकरण उ0प्र0 शासन स्तर पर विचाराधीन है ।

2– (क) नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा रेलवे रैक के माध्यम से विभिन्न सरकारी उपक्रमो/संस्थानो/प्राईवेट फर्मो आदि को अभिवहित कोयले पर अभिवहन शुल्क की कुल बकाया धनराशि रू0 3,71,69,21,066/– वन विभाग के पक्ष में जमा किया जाना था । बकाया अभिवहन शुल्क की धनराशि के सापेक्ष एन0सी0एल0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा जनवरी 2019 तक रू0 3,68,62,19,745.00 जमा किया गया तथा उक्त रू0 3,71,69,21066–रू0 3,68,62,19745.00) = 30701321.00 बकाया था जिसे जमा न किये जाने पर भू–राजस्व की भाँति वसूल किये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिंगरौली, म0प्र0 से अनुरोध किया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि उच्च स्तर पर भी प्रेषित की गयी। उक्त के उपरान्त एन0सी0एल0 की बीना परियोजना द्वारा बकाया धनराशि रू0 30701321.00 का भारतीय स्टेट बैंक की डी0डी0 संख्या–703162 दिनांक 12.05.2020 रेनुकूट वन प्रभाग में उपलब्ध करायी गयी। जिसे चालान सं0 ई0जी0 000014 दिनांक 16.05.2020 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, रावर्ट्सगंज में जमा कराया जा चुका है।

(ख) उक्त अभिवहन शुल्क की बकाया धनराशि रू0 3,71,69,21,066/– मे से नार्दन कोल फील्डस लि0 की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा विभिन्न तिथियो में जमा की गयी धनराशि में हुए विलम्ब के कारण कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा) उ0प्र0 आडिट भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा रू0 121.48 करोड़ की धनराशि निर्धारित करते हुए जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया । उक्त निर्धारित धनराशि को जमा करने हेतु प्रभाग द्वारा सी0एम0डी0 नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली, मध्य प्रदेश से अनुरोध किया गया किन्तु जमा न किये जाने पर प्रभाग द्वारा जिलाधिकारी सिंगरौली मध्य प्रदेश को पत्र प्रेषित करते हुए ब्याज की धनराशि जमा भू–राजस्व की भाँति वसूल करने हेतु अनुरोध किया गया ।

(ग) प्रभाग स्तर से जिलाधिकारी सिंगरौली, मध्य प्रदेश को प्रेषित पत्रो के क्रम में जिलाधिकारी सिंगरौली द्वारा सी0एम0डी0 नार्दन कोल फील्डस लि0 सिंगरौली के विरूद्ध किये गये कार्यवाही से क्षुब्ध होकर नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष दो रिट याचिका दाखिल करते हुए आदेश प्राप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	रिट याचिका संख्या/वर्ष	याची/विपक्षीगणो का विवरण	माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित मुख्य अन्तरिम आदेश की तिथि व प्रभावी अंष	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	टैक्स 224/2018	नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा सी0एम0डी0 एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	08.03.2018– Till 14 Marh 2018 no coercive measures may be taken against the petitioner for realization of interest on account of delay in depost of Transit Fee. 15.10.2019– List in the next cause list so as to enable the learned counsel for the petitioner to provide correct address of respondent n0. 6 Interim order , if any, to continue till then .	इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक–05.04.2018 को शपथ पत्र एवं स्टे वैकेशन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।
2	सी 15241/2018	नार्दन कोल फील्डस लि0 द्वारा सी0एम0डी0 एन0सी0एल0 मुख्यालय सिंगरौली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य	07.05.2018 On the request of learned counsel for the petitioner, put up on 14-05-2018	इस रिट याचिका में विभाग की ओर से दिनांक–16.11.2019 को शपथ पत्र दाखिल किया गया है तथा याचिका वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ।

प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग द्वारा नार्दन कोल फिल्ड्स लिमिटेड की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 वन भूमि लीज के ऑन लाईन नवीनीकरण **प्रस्ताव संख्या– FP/UP/MIN/29061/2017**को अन्य उपरवर्णित दोनो बिन्दुओ से पृथक करते हुए लीज के आगामी 20 वर्षो हेतु नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु आख्या उच्च स्तर को प्रेषित करने हेतु प्रभाग स्तर से पुनः संस्तुति की गयी है । यह संस्तुति माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन एम0ए0 वाद संख्या– 1747/2018 व सिविल अपील संख्या– 7614/2014 के अन्तिम निर्णय से बाधित रहेगा ।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में उल्लिखित बिन्दुओं पर सहमति व्यक्त करते हुए संस्तुति सहित एतदसह संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 5287 अ/समदिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2– प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट ।

(रमेश चन्द्र झा) 5/6
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

6